

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत उत्तराखण्ड सरकार सिकराय

सरकार बनाम जालचारी

किस्म मुकदमा यथा मु० नं० 133/19

रीस हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
13/19	<p>प्रकार प्रकार सिकराने के यथा हुकमी प्रेष किया। यथा दूर स्थित किया जाकर उपस्थिति की तामीली की जाकर तामीली दि 8-5-19 से प्रेष हो</p> <p style="text-align: center;">उत्तराखण्ड सरकार सिकराय विभाग-संसा</p>	
14/19	<p>परावली प्रेष हुके/ परिकाल सरकार उपस्थित</p> <p>परिकाल सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कथना काया कि प्रकार को निस्तारण स्थल कायलप सिंक्राप वारा कर दिया गया हो। ऐसा स्थिति में प्रकार चलने प्रेष</p> <p>अतः प्राची को प्रकार-परवारा 186 अतिथि किया जाता है। परावली केमल कुमार देकर नम्बर से केम. ए.</p> <p style="text-align: center;">अजित उत्तराखण्ड सरकार सिकराय विभाग-संसा</p>	<p>प्राची इन्फोर्मेशन का सिंक्राप अतीत कर ले कर किया गया है अतः प्रकार का सिंक्राप प्रेष</p> <p style="text-align: right;">14/19</p>